झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख

गोपनीय

विषय :–झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2013 की स्वीकृति के संबंध में।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, के पत्र संख्या जी०एस०आर०–630(ई०), दिनांक 31.8.2001, द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के अनुसूची की कंडिका 5 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व सहमति से झारखण्ड के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन/ रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्तें, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(i) इस आदेश का नाम झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2013 है।

(ii) यह आदेश झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएँ

(क) 'नियंत्रण आदेश' से अभिप्रेत है झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2013

(ख) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10)।

(ग) 'केन्द्रीय आदेश' से अभिप्रेत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001।

(घ) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार।

(ड़0) 'विभाग' से अभिप्रेत है खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार।

(च) 'खाद्य आयुक्त' से अभिप्रेत है खाद्य आयुक्त, झारखण्ड।

(छ) 'उपायुक्त' से अभिप्रेत है झारखण्ड के जिलों के जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त।

(ज) 'अपील प्राधिकारी' से अभिप्रेत है इस आदेश के अधीन अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी या जिलाधिकारी–सह–उपायुक्त।

झ) 'प्राधिकारी' से अभिप्रेत है जो राज्य सरकार में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक से अन्यून श्रेणी का न हो।

(ञ) 'सक्षम पदाधिकारी' से अभिप्रत है किसी कार्य के लिये चिह्नित/जिला के उपायुक्त के द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार के पदाधिकारी जो आपूर्ति निरीक्षक पद से अन्यून स्तर पदाधिकारी न हो।

(ट) 'अनुज्ञापन पदाधिकारी' से अभिप्रेत है विभिन्न क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों हेतु तथा इस आदेश के प्रावधानों के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकारी जो अनुमण्डल पदाधिकारी होंगे।

(ठ) 'उचित मूल्य की दुकान' से अभिप्रेत है ऐसी दुकान जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्डधारकों को इस आदेश के अधीन आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए अनुज्ञप्ति किया गया हो।

(ड) 'उचित मूल्य की दुकान मालिक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति/को–ऑपरेटिव सोसाइटी/पैक्स, लैम्पस/ग्राम पंचायत/अन्य संस्थायें जिन्हें आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत अनुज्ञप्ति किया गया हो।

(ढ) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' से अभिप्रेत है वितरण की वह प्रणाली जिसके माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं यथा चावल, गेहूँ, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल और ऐसी वस्तुएँ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित की जाती हैं, वितरित की जाती हों।

(ण) 'राशन कार्ड' से अभिप्रेत है निम्नलिखित प्रकार के राशन कार्डः–

(i) गरीबी रेखा से उपर के परिवारों को जारी किया गया राशन कार्ड (हरा कार्ड)।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी किया गया राशन कार्ड (लाल कार्ड)।

(iii) अंत्योदय अन्न योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड (पीला कार्ड)।

(iv) अतिरिक्त बी०पी०एल० परिवारों को निर्गत राशन कार्ड (नीला कार्ड)।

(v) अन्नपूर्णा योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड (सफेद कार्ड)।

(vi) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी विशेष योजना के लिए जारी किया गया राशन कार्ड।

(त) 'गरीबी रेखा से उपर के परिवार' से अभिप्रेत है वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में नहीं आते हों तथा जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न दिये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से उपर (ए०पी०एल०) का राशन कार्ड जारी किया गया हो।

(थ) 'अन्त्योदय परिवार' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) परिवारों में से पहचान किए गये वे निर्धनतम परिवार जिन्हें अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड जारी किया गया हो।

इसके, अतिरिक्त वैसे परिवार/व्यक्ति जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित करने का निदेश समय–समय पर दिया गया हो।

(द) 'गरीबी रेखा से नीचे के परिवार' से अभिप्रेत है वैसे परिवार जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गरीबी के प्राक्कलनों को अंगीकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा पहचान किया गया हो तथा जिन्हें विभाग द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति देने के लिए सूची–बद्ध किया गया हो।

(ध) 'पात्र आवेदक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो झारखण्ड राज्य का निवासी हो।

3. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाती है। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ उक्त विभागों द्वारा तैयार की गयी सूची के आधार पर लागू की जाती हैं।

4. राशन कार्ड

(i) राज्य सरकार गरीबी रेखा से उपर, गरीबी रेखा से नीचे एवं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को अलग–अलग राशन कार्ड निर्गत करेगी।

(ii) (क) ए०पी०एल० राशन कार्ड अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जो सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून नहीं हों के द्वारा निर्गत किया जायगा।

(ख) ए०पी०एल० राशन कार्ड की पात्रता रखने वाले आवेदक पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन विहित प्रपत्र में देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी करेंगे एवं जाँच के पश्चात् सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जाँच प्रतिवेदन भेजेंगे जिसके आधार पर उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा ए०पी०एल० कार्ड निर्गत किया जायगा।

(ग) बी०पी०एल०/अन्त्योदय कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर जाँचोपरांत किया जायगा। बी०पी०एल०/अन्त्योदय की पात्रता रखने वाले परिवार अपना आवेदन भरकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय में एवं शहरी क्षेत्र में शहरी निकाय कार्यालय में अथवा पणन पदाधिकारी कार्यालय में देगा।

(घ) सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को सूची बद्ध करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सचिव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजेंगे। उपायुक्त विशेष ग्राम सभा आयोजित करेंगे जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा ग्राम से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची ग्राम सभा में प्रस्तुत की जायेगी। ग्राम सभा सूची में से नाम हटाने एवं सम्मिलित करने का कार्य करेगी तथा ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रेषित की जायगी जिसे जाँचोपरांत वे यह सुनिश्चित करेंगे

कि संबंधित परिवार का नाम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार हो। प्रखण्ड स्तर पर समेकित सूची अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष भेजा जायगा। अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत सक्षम पदाधिकारी द्वारा बी०पी०एल० /अन्त्योदय परिवारों की प्राप्त सूची से संतुष्ट होने के उपरांत बी०पी०एल० परिवारों को लाल कार्ड एवं अन्त्योदय परिवारों को पीला कार्ड निर्गत किया जायगा।

(iii) राशन कार्ड के लिए गलत विवरण अंकित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(iv) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वयं के नाम पर अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अथवा परिवार के नाम राशन कार्ड निर्गत हो, के द्वारा नया राशन कार्ड के लिए न तो आवेदन देगा और न राशन कार्ड प्राप्त करेगा। राशन कार्ड के लिए परिवार के सदस्यों की पूर्ण एवं सही सूचना देना आवश्यक होगा।

(v) राज्य सरकार बोगस राशन कार्डो को रद्द करने की सतत् प्रक्रिया चालू रखेगी।

(vi) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्गत राशन कार्ड तब तक वैध रहेगा जबतक उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा राशन कार्ड के आवेदनों पर झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011 की धारा–4 के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के अन्दर राशन कार्ड निर्गत किया जायगा।

(viii) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नियंत्रण आदेश की धारा 2 (थ) के अंतर्गत राशन कार्ड निर्गत किया जायगा।

(ix) सामान्यतः राशन कार्ड पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा। पाँच वर्षों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा राशन कार्डो का नवीकरण किया जायेगा।

(x) राशन कार्ड पर राशन कार्ड धारक का स्पष्ट रूप से नाम, पूर्ण पता, उम्र, परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का पूर्ण पता, उम्र तथा राशन कार्ड धारक से संबंध एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का नाम, जिसके दुकान से खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी उल्लिखित किया जायेगा। राशन कार्ड में सम्पूर्ण परिवार का फोटो रहेगा।

(xi) राशन कार्ड परिवार के सबसे बड़े पुरूष एवं महिला सदस्य के संयुक्त नाम से निर्गत किया जायेगा तथा दोनों का नाम परिवार के मुखिया के रूप में अंकित किया जायगा।

(xii) बी०पी०एल०, अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा अन्न योजना के परिवारों को निशुल्क राशन कार्ड की आपूर्ति की जायगी एवं ए०पी०एल० परिवारों को विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर कार्ड उपलब्ध कराया जायगा।

(xiii) इस आदेश के अधीन निर्गत राशन कार्ड राज्य सरकार की सम्पति होगी एवं उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित व्यक्ति/परिवार की होगी।

(xiv) अगर राशन कार्ड खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है, वैसी स्थिति में सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के उपरान्त विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर नया राशन कार्ड निर्गत किया जायगा।

(xv) अगर नया राशन कार्ड निर्गत करने के उपरान्त खोये हुए पुराना राशन कार्ड मिल जाता है तो नया राशन कार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुराना

राशन कार्ड निर्गत करने वाले पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

(xvi) विभिन्न श्रेणी के राशन कार्डों को आधार से जोड़ने की कार्रवाई की जायगी।

5. खाद्यान्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य निर्धारण

राज्य सरकार केन्द्र सरकार के मार्ग–दर्शन के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए प्राप्त सामग्रियों की मात्रा एवं मूल्य निर्धारण करेगी। मूल्य सभी योजनाओं के लिए समय–समय पर अलग–अलग निर्धारित किया जायगा एवं योजना के अंतर्गत निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य, निर्धारित अनुदान, टैक्स, हथालन एवं परिवहन पर होने वाले व्यय के आधार पर निर्धारित किया जायगा।

6. उठाव, संग्रहण, परिवहन एवं वितरण

(i) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों को दूसरे कार्य के लिए विचलित नहीं किया जायेगा।

(ii) केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जिलावार खाद्यान्नों का उप आवंटन निर्गत किया जायेगा तथा आवंटन माह के पूर्ववर्त्ती माह के दौरान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाव कर अपने गोदामों में संग्रहित करेगा। खाद्यान्न उठाने की अंतिम तिथि भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि होगी।

(iii) डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत् उपायुक्त/जिला आपूति पदाधिकारी अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य निगम जो राज्य सरकार निर्धारित करे उसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर उसे जन वितरण प्रणाली दुकान पर भेजने की व्यवस्था आवंटित माह की पहली तारीख के पूर्व सुनिश्चित करेंगे।

(iv) जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जन वितरण प्रणाली के सभी दुकानों को आवंटन माह की पहली तारीख के पूर्व खाद्यान्न, नमक इत्यादि की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगा।

(v) जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों को खाद्यान्न का आवंटन दुकानदारवार किया जायेगा। खाद्यान्न उप आवंटन की प्रति ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकाय को भी दिया जायेगा। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को खाद्यान्न का उपावंटन करते समय पिछले माह के अवितरित खाद्यान्न का भी हिसाब रखा जायेगा।

(vi) झारखण्ड राज्य खाद्य निगम अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से करेगा एवं खाद्यान्न इत्यादि की गुणवत्ता राज्य खाद्य निगम के गोदामों में भी बरकरार रखी जायगी।

(vii) जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम लि० द्वारा उठाव किये गये सम्पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न, नमक इत्यादि उनके गोदाम में तथा तदोपरान्त जन वितरण प्रणाली के सभी

दुकानों में पहूँचा दिया गया है। दुकान को माह के आवंटन के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति एकमुश्त की जायगी।

(viii) राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों को बिक्री पंजी, भंडार पंजी एवं राशन कार्ड की विवरणी संधारित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित किया जायेगा तथा जन वितरण प्रणाली के उचित अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी।

(ix) राशन कार्ड धारक जन वितरण प्रणाली की दुकानों से देयता के अनुरूप आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि वे पूरी सामग्री एक ही बार में उठाव कर लें बल्कि कई किस्तों में भी उठाव कर सकेंगे।

(x) उचित मूल्य की दुकान आवश्यक वस्तुओं का भंडार रहने पर राशन कार्डधारक को खाद्यान्न आपूर्ति करने से इन्कार नहीं कर सकेगी।

7. जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण

राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जन वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण कर सकेगी।

8. प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्ति

(i) राज्य सरकार अथवा जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई भी पदाधिकारी जो आपूर्ति निरीक्षक से अन्यून नहीं हो जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिक्री/वितरण के लिए संग्रहित आवश्यक वस्तुओं के परिसर के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकृत होंगे।

(ii) उप खण्ड (1) के अधीन यदि ऐसे प्राधिकृत पदाधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि इस आदेश के अधीन या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया कोई आदेश या इस आदेश की किसी शर्त्त का अतिक्रमण हो रहा है तो ऐसा अधिकारी इस आदेश के उपबंधों एवं शर्त्तो को प्रवृत कराने की दृष्टि से किसी भी उचित मूल्य की दुकान, प्रखण्ड गोदाम/थोक बिक्रेता/अर्द्धथोक बिक्रेता/फुटकर बिक्रेता जहाँ उसे विश्वास करने का कारण हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न का अवैध भण्डारण किया जा रहा है वह उक्त परिसरों या किसी अन्य स्थान का निरीक्षण या तलाशी ले सकेगा।

(iii) प्राधिकृत पदाधिकारी आवश्यक वस्तुएँ जो भण्डारित की गई हो या ऐसी वस्तुएँ जिन्हें हटाया जाना है या ऐसी वस्तुएँ जिनके बारे में उसे विश्वास करने का कारण हो कि किसी केन्द्रीय आदेश के उल्लंघन में या इस आदेश में अभिकथित शर्त्तो के अतिक्रमण में स्टॉक की गयी है, से संबंधित दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा।

(iv) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के उपबंध, प्रवेश, तलाशी एवं अभिग्रहण के मामलों में लागू होगा।

(v) इस संदर्भ में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, वितरण, बिक्री, भण्डारण तथा लेखा से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किया जा सकेगा तथा वजन/गुणवत्ता की भी जाँच कराई जा सकेगी।

9. अनुश्रवण

(i) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दो माह में कम से कम एक बार जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण निश्चित रूप से किया जायगा। राज्य सरकार आदेश निर्गत कर निरीक्षण तालिका निर्धारित करेगी तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए सक्षम पदाधिकारियों को प्राधिकृत करेगी।

(ii) वितरण–सह–निगरानी समिति की बैठक निम्न रूपेण होगी :–

- जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर माह में कम से कम दो बार,
- पंचायत स्तर पर गठित समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार,
- नगर पंचायत/नगर परिषद्/नगर निगम स्तर पर दो माह में कम से कम एक बार,
- प्रखण्ड स्तर पर गठित समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार
- जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दो माह में कम से कम एक बार,
- राज्य स्तर पर गठित समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार की जायगी।

(iii) प्रत्येक जन वितरण प्रणाली की दुकान का ग्राम सभा द्वारा साल में एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जायगा। इसके संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण विभाग द्वारा करते हुये निदेश जारी किये जा सकेंगे।

(iv) राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से जन वितरण प्रणाली के विषय में जानकारी प्राप्त कराने तथा उनके अधिकारों के बारे में सजग करने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किया जायगा।

10. जन वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या एवं स्थान का निर्धारण

(i) राज्य सरकार समय–समय पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु जनसंख्या का निर्धारण कर अधिसूचित करेगी।

(ii) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि राशन कार्ड धारक को उचित मूल्य की दुकान तक पहुँचने के लिए सामान्य परिस्थिति में अधिकतम तीन किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करना पड़े।

11. जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन

(i) जन वितरण प्रणाली की नई दुकानों का आवंटन निम्नलिखित संस्थाओं/वर्गों को किया जायेगाः

(क) महिला स्वयं सहायता समूह
(ख) महिला सहयोग समितियाँ
(ग) पैक्स/लैम्पस
(घ) भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ

जन वितरण प्रणाली की दुकानों की आवंटन में बी०पी०एल० महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली दुकानों का आवंटन निम्नलिखित संस्थाओं/वर्गों को नहीं किया जायगाः–

(क) महिला स्वयं सहायता समूह महिला सहयोग समितियाँ, पैक्स/लैम्पस, भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ जो दिवालिया, विकृतचित घोषित हो चुकी हो

(ख) अंतिम रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दोषी करार दिये गये हो

(iii) जो अनुज्ञप्तियाँ अकेले व्यक्तियों को दी गई हैं, उनका नवीकरण नहीं किया जायेगा एवं ऐसी अनुज्ञप्तियाँ अनुकम्पा के आधार पर भी नहीं दी जायेंगी। अकेले व्यक्तियों को दी गई अनुज्ञप्तियों की अवधि समाप्त होने पर अभी अनुज्ञप्तियाँ कंडिका 11 (i) पर वर्णित संस्थाओं/वर्गों को ही दी जा सकेंगी।

12. अनुज्ञापन

जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप नियंत्रण आदेश के तहत् नियंत्रित होंगे। नियंत्रण आदेश निर्गत की तिथि से बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1984 लागू नहीं होगा। जो अनुज्ञप्तियाँ बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1984 के अंतर्गत निर्गत की जा चुकी है वे अनुज्ञापन अवधि में वैद्य मानी जायेंगी, परन्तु उनका नवीकरण नियंत्रण आदेश के तहत् किया जायेगा।

13. अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया

नयी दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिये अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा सामाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जायेंगे एवं आवेदकों द्वारा विहित प्रपत्र–I में संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जायगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जाँच पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक से कराकर अपनी अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन जिला चयन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। पुराने अनुज्ञप्तिधारियों के मामले में कंडिका–10 के अनुसार कार्रवाई की जायगी। चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:–

(1) अध्यक्ष – जिला पदाधिकारी–सह–उपायुक्त।

(2) सचिव – अनुभाजन क्षेत्र के लिए विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) तथा शेष सभी जिला के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी।

(3) सदस्य – (i) सम्बन्धित अनुमण्डल के अनुमण्डल पदाधिकारी।
(ii) जिला में पदस्थापित अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी।
(iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी।

चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदकों को अनुज्ञापन पदाधिकारी, जो संबंधित जिला के अनुमण्डल पदाधिकारी होंगे के द्वारा जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी ।

14. अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क

(क) जिला चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदकों को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में रू० 500/– (पाँच सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा । आवेदकों के द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् विहित प्रपत्र–II में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा तीन कलेंडर वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति दी जायेगी।

(ख) **अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क**

(i) अनुज्ञप्ति का नवीकरण तीन वर्षों के लिये किया जायेगा। अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र–III में आवेदन एवं नवीकरण शुल्क रू० 500/–(पाँच सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति तीन कलेंडर वर्ष के लिए नवीकृत की जायेगी। निधारित समय सीमा के अन्दर अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में रूपये 100/– (सौ रूपये) प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

(ii) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत किये जाने के एक माह के अन्दर सभी अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(iii) निलम्बन अवधि में अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं होगा । निलम्बन समाप्ति के उपरान्त एकमुश्त नवीकरण शुल्क जमा कराकर अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया जा सकेगा।

(ग) **द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क**

यदि कोई अनुज्ञप्ति विरूपित, गुम या नष्ट हो जाय तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्काल अनुज्ञापन पदाधिकारी को सूचित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा "द्वितीयक अनुज्ञप्ति" हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क रू० 500/–(पाँच सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा द्वितीयक अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा।

15. किरासन तेल ठेला भेण्डर की अनुज्ञप्ति

जिला को आवंटित किरासन तेल में से 90 प्रतिशत मात्रा जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरित की जायेगी। शेष 10 प्रतिशत मात्रा ठेला भेण्डर के माध्यम से बिक्री की जायेगी एवं एक ठेला भेण्डर को एक माह में अधिकतम 1000 लीटर तेल आवंटित किया जा सकेगा।

ठेला भेण्डर की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति की तर्ज पर होगी।

16. अनुज्ञापन पदाधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन

नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू कराने के साथ–साथ जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य के बिक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/स्वीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तों, कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन कराने, अनुज्ञप्ति को निलंबित करने एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने की शक्ति अनुज्ञापन

पदाधिकारी में निहित रहेगी। अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेंगी। निरीक्षी पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में केवल अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ही उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेता से कारण पृच्छा कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

17. अनुज्ञप्तिधारकों का कर्त्तव्य एवं दायित्व

(i) उचित मूल्य की दुकानों का रंग हरा होगा;

(ii) अनुज्ञप्ति में वर्णित कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा;

(iii) सूचना–पट्ट परिशिष्ट–1 के अनुसार रखा जायेगा;

(iv) मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन–पट्ट परिशिष्ट–2 के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा;

(v) परिशिष्ट–3 के अनुसार निर्गत पहचान पत्र रखा जायेगा;

(vi) राशन कार्डधारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं का उसकी हकदारी के अनुसार प्रदाय करने से इन्कार नहीं किया जायेगा;

(vii) उचित मूल्य के दुकानदार द्वारा जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्ड सम्बंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा किन्तु यह कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के पश्चात् राशन कार्ड में राशन दर्ज नहीं करके इसे ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा दर्ज करने की कार्रवाई की जायगी।

(viii) कोई राशन कार्डधारक, जो उचित मूल्य की दुकान के मालिक के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, दुकान मालिक को निर्धारित रू० 10/–(दस) फीस जमा कर लिखित अनुरोध कर सकेगा। अनुरोध और विनिर्दिष्ट फीस प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर उचित मूल्य दुकान का स्वामी राशन कार्डधारक को ऐसे अभिलेख का उद्धरण प्रदान करेगा;

(ix) राशन कार्डधारकों की हकदारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित खुदरा निर्गम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जायेगा;

(x) दुकान प्रमुख स्थान पर दैनिक आधार पर निम्नलिखित के संबंध में सूचना–पट्ट पर जानकारी संप्रदर्शन करना:–

(क) गरीबी रेखा से नीचे, अन्त्योदय, एवं गरीबी रेखा से उपर के लाभान्वितों की सूची

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की हकदारी

(ग) माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक

(घ) आवश्यक वस्तुओं का आरंभिक और अंतिम स्टॉक

(xi) राशन कार्डधारकों (गरीबी रेखा से उपर, गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय)/ अतिरिक्त बी०पी०एल० के स्टॉक रजिस्टर निर्गम एवं विक्रय पंजियों का रख रखाव करना;

(xii) इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेखों यथा राशन कार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर को निरीक्षी पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रस्तुत किया जाना;

(xiii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदान किये जा रहे खाद्य पदार्थों के सैम्पल का संप्रदर्शन करना;

(xiv) निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन एवं वितरण से संबंधित पंजियों एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांग की जाय;

(xv) माह के अंत में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष स्टॉक का हिसाब आपूर्ति निरीक्षक अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दिया जाना और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाना;

(xvi) सूचना–पट्ट पर संप्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित कीमत की दुकान को खोला जाना और बंद किया जाना।

18. जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की कार्य अवधि एवं अवकाश एवं उचित मूल्य के दुकान का आकार

(i) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान राजपत्रित अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 08.00 बजे से 02.00 बजे अपराहन तक खुली रहेगी। अपरिहार्य कारणों से यदि उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेता एक सीमित अवधि के लिए दुकान संचालन में असमर्थ हो तो उसके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक को आवेदन पत्र देना होगा, जिनके द्वारा इसकी सूचना अनुज्ञापन पदाधिकारी को देंगे। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के उपरान्त ही उक्त जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को उक्त अवधि के लिए दुकान बंद रखने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य के दुकान का न्यूनतम आकार इस प्रकार का होगा जिसमें कम से कम एक माह की आवश्यकता के बराबर खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का भंडारण किया जा सके।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के सामने इतना खुला स्थान अवश्य होना चाहिए जिसमें पंक्तिवद्ध होकर महिला एवं पुरूष राशन कार्डधारक आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर सकें।

19. अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा रद्दकरण

(i) निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी:

(क) यदि निर्धारित समय पर पूरा माह दुकान खुली नहीं रखते हों।

(ख) लक्षित उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते हों और यदि निर्धारित दर से अधिक दर पर खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराते हों।

(ग) लक्षित परिवारों का राशन कार्ड अपने पास रखते हों।

(घ) राशन कार्ड में बिना खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराये गलत प्रविष्टि करते हों।

(ड़) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यदि कालाबाजारी में लिप्त रहते हों तथा खाद्यान्न आदि को खुले बाजार में बेचते हों।

(च) अपना राशन दुकान दूसरे व्यक्ति/ संस्था के माध्यम से चलवाते हों।

(ii) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, कर्त्तव्यों/ उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा निलंबित/रदद किया जायेगा ।

(iii) यदि उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो न्यायालय में जब तक मामला विचाराधीन रहेगा तबतक विक्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी ।

(iv) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा करना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जायेगा ।

(v) अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी। यह अवधि झारखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अवधि के अनुसार ही होगी। इस बीच अनुज्ञप्ति निलंबन से संबंधित अभिलेख निलंबन की तिथि से एक पक्ष के अंदर जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। चयन समिति द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त बिक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलंबन के संदर्भ में आवश्यक अनुशंसा अनुज्ञापन पदाधिकारी को दी जायेगी जिसके अनुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी ।

(vi) अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा रद्द होने की स्थिति में खाद्यान्न का आवंटन बंद कर निकटतम उचित मूल्य की दुकान के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।

(vii) अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबन के पश्चात अनुभाजन क्षेत्र में अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निलंबित दुकान को निकटतम उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेता के दुकान के साथ उपभोक्ताओं को सम्बद्ध किया जायेगा।

(viii) उचित मूल्य की दुकान के साथ सम्बद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के उपभोक्ता यथा ए०पी०एल०, बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय परिवारों को उसी बिक्रेता के दुकान के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।

(ix) सामान्य परिस्थिति में दुकान से उपभोक्ताओं की सम्बद्धता में परिवर्तन नहीं किया जायगा।

20. दंड

(i) एकरारनामा अथवा आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन की स्थिति में उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निलम्बित अथवा रद्द करते हुए जमा प्रतिभूति की राशि जब्त की जा सकेगी।

(ii) दुकान आवंटित करने वाले अधिकारी संबंधित उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना अनुज्ञप्ति तब तक रद्द नहीं कर सकता है जब तक कि उचित मूल्य की दुकानधारक को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो। युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञापन पदाधिकारी कारण सहित

आदेश पारित कर अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा तथा उचित मूल्य की दुकानधारक को युक्तियुक्त अवसर देते हुए तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पालन करते हुए उचित मूल्य की दुकान की दुकानधारक अनुज्ञप्ति को निलंबित कर 10 दिनों के अन्दर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि अंतिम आदेश तीन मास के भीतर पारित किया जाय।

(iii) यदि यह पाया जाता है कि उचित मूल्य के दुकानधारक द्वारा किसी अपात्र व्यक्ति को खाद्यान्न वितरित कर दिया है या खाद्यान्न उपयोगित किया गया है तो उसका मूल्य जिम्मेवार बिक्रेता/ कर्मचारी/ व्यक्ति से वसूल कर लिया जायेगा।

(iv) यदि कोई उचित मूल्य की दुकान/सोसाइटी अपने प्रबंधक, बिक्रेता या कोई अन्य व्यक्ति के माध्यम से इस आदेश या केन्द्रीय आदेश की शर्त्तों या राज्य सरकार/ आयुक्त/ उपायुक्त/ अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन करता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड (ii) के अनुसार कार्रवाई करेगा और जमा प्रतिभूति पूर्णतः या अंशतः जब्त कर लेगा।

(v) कालाबाजारी एवं अन्य गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

21. अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्द होने के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का व्ययन

नियंत्रण आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध खाद्यान्न/आवश्यक वस्तुओं का भंडार, अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबन आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक की देख–रेख में सम्बन्धित दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर एवं मात्रा के अनुसार वितरित कर प्राप्त राशि अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दी जायेगी ।

22. अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण

जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हस्तांतरण नहीं की जा सकेगी।

23. एकरारनामा

जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रपत्र–II में राज्य सरकार के साथ एकरारनामा किया जायेगा। एकरारनामा के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारक को दुकान आवंटन आदेश एवं खाद्यान्न वितरण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

24. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र

अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा सभी अनुज्ञप्तिधारी को उचित पहचान पत्र परिशिष्ट 3 के अनुसार निर्गत किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहचान पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी।

25. अनुज्ञप्ति में परिवर्तन

(i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं का भंडारण अथवा अनुज्ञप्ति में वर्णित व्यापार स्थल से भिन्न स्थल पर व्यापार करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा।

(ii) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जांचोपरान्त अनुज्ञप्ति में अंकित व्यापार स्थल में आवश्यक परिवर्तन करने अथवा उसे अस्वीकृत करने के संबंध में लिखित आदेश देंगे तथा इसकी प्रविष्टि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञापन एवं कार्यालय में संधारित अनुज्ञापन पंजी में की जायेगी ।

26. उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को देय कमीशन

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेताओं को देय कमीशन का भुगतान आवश्यक वस्तुओं के उठाव/वितरण की समाप्ति के दो माह के अंदर कराने का दायित्व अनुज्ञापन पदाधिकारी का होगा।

27. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दोष सिद्धियों का परिणाम

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा–3 के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण न्यायालय द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी को सिद्ध दोषी ठहरा दिये जाने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।

28. आदेश के आलोक में कार्रवाई के विरूद्ध संरक्षण

इस आदेश के अन्तर्गत विश्वास/सद्भाव में की गयी कार्रवाई/की जानेवाली कार्रवाई के विरूद्ध किसी प्रकार का मुकदमा/कानूनी कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जा सकेगी।

29. अपील

(i) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने, उसके नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत प्राधिकृत अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति के तारीख से तीस दिनों के अन्दर अपील कर सकता है और अपीलीय पदाधिकारी उक्त अपील का साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करेगा ।

(ii) ऐसे किसी अपील का निपटारा तबतक नहीं किया जायेगा जबतक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(iii) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान अपीलीय पदाधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश ऐसी अवधि तक तथा जिसे कंडिका (ii) के अधीन उक्त प्राधिकारी अन्य पक्षकार को

युक्तियुक्त अवसर देने के लिये आवश्यक समझे या अपील के निपटारे तक जो पूर्वत्तर हो, प्रभावी नहीं होगा ।

(iv) अपीलीय पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेता के विरूद्ध अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण आदेश अथवा अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण से मुक्त करने हेतु तर्कसंगत आदेश (Speaking Order) पारित किया जायगा।

30. विमुक्ति

नियंत्रण आदेश का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा या उनके निमित आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये संचय पर लागू नहीं होगा

(i) केन्द्रीय सरकार
(ii) राज्य सरकार
(iii) राज्य सरकार के अधिकारी, संस्थाएँ, संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेन्सियाँ;
(iv) कोई केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति ।

31. आवश्यक निदेश देने की शक्ति

राज्य सरकार, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिले के उपायुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के योजनाबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे और उचित मूल्य की दुकान/सोसाईटी ऐसे निर्देशों का अनुसरण करने को आबद्ध होंगे।

32. राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति

राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस आदेश की किसी या समस्त खण्डों के संबंध में लिखित में विशेष आदेश जारी कर सकेगी तथा इस आदेश के किन्हीं उपबंधों से छूट भी दे सकेगी।

33. निरसन

(i) नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत इस आदेश के अधिसूचित होने के पूर्व से उचित मूल्य की दुकान के बिक्रेताओं के विरूद्ध लंबित कार्रवाई तात्कालीन समय में लागू आदेश के अन्तर्गत निष्पादित की जायेगी।

(ii) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क, द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य संचालन, अनुज्ञाप्तिधारी का कार्य अवधि एवं अवकाश, अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा रद्दकरण, तलाशी एवं जब्ती, दंड, अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण के पश्चात् आवश्यक वस्तुओं का व्ययन, अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण, एकरारनामा, अनुज्ञप्तिधारी का पहचान पत्र, अनुज्ञप्ति में व्यापार स्थल का परिवर्त्तन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दोष–सिद्धियों का परिणाम तथा अपील से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत पत्र, परिपत्र, आदेश, निदेश एतद् द्वारा विलोपित समझे जायेंगे, परन्तु जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न खाद्यान्न

योजनाओं से सम्बन्धित आदेश, निदेश, पत्र एवं परिपत्र पूर्व की भाँति लागू रहेंगे ।

(iii) उचित मूल्य की दुकान के अनुश्रवण के संबंध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिपत्र जो नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों, लागू रहेगा एवं आदेश के अधीन अधिसूचित समझा जायेगा।

34. उपरोक्त के आलोक में झारखण्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2013 का स्वीकृति का प्रस्ताव है।

35. उपरोक्त प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

36. उपरोक्त प्रस्ताव एवं संलेख पर विधि विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

37. उपरोक्त प्रस्ताव एवं संलेख पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

38. उपरोक्त प्रस्ताव एवं संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

(अलका तिवारी),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–खा0प्र0 / विविध–36 / 2010– /राँची, दिनांक

प्रतिलिपि – 10 प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।